रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, शनिवार, मई 5, 1984/वैसाख 15, 1906
No. 149] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 5, 1984/VAISAKHA 15, 1906

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 1984

सं. 102/84-सी.शु.

सा.का.नि. 326(अ).—केन्द्रीय सरकार, उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं. 22छ के अन्तर्गत आने वाली फर्श की बिछायतों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ;

परन्तु ऐसी कोई छूट किन्हीं ऐसी फर्श की बिछायतों को लागू नहीं होगी जिनके विनिर्माण में या उसके संबंध में कोई प्रक्रिया मशीनों की सहायता से की जाती है, चाहे वे विद्युत या वाष्प की सहायता से या उसके बिना चलाई जाती हैं ।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ''मशीन'' के अन्तर्गत नहीं है :—

(क) हस्तचालित करघे ; और

(ख) स्वतंत्र रूप से हाथ से प्रयोग किए जाने वाले हस्तचालित उपकरण जैसे हुकिंग गन, टफ्टिंग गन और बुनाई गन ।

[फा. सं. 51ए/2/84-सीएक्स-2]
किशन सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 5th May, 1984

NOTIFICATION

No. 102|84-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 326(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts floor coverings, falling under Item No. 22G of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that no such exemption shall apply to any floor coverings in or in relation to the manufacture of which any process is ordinarily conducted with the aid of machines whether operated with or without the aid of power or steam.

Explanation:—For the purposes of this notification, "machines" shall not include:—

(a) manually operated looms; and

(b) Manually operated implements, used independently by hand, such as hooking guns, tufting guns and knitting guns.

[F.No. 51A|2|84-CX.2.]
KISHAN SINGH, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984